उत्तरांचल शासन
न्याय विभाग
संख्या: 163-एक(1)/न्याय विभाग/2003
देहरादून: दिनांक: 18 जुलाई, 2003
अधिसूचना
प्रकीर्ण

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (अधिनियम संख्या 33 सन् 1989) की धारा 14 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, माननीय उत्तरांचल उच्च न्यायालय की सहमति से उत्तरांचल के समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अधीन उनकी स्थानीय क्षेत्राधिकार की सीमा के भीतर अपराधों के विचारण के लिए विनर्दिष्ट करते है तथा सम्बन्धित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को अपने जनपद में उपलब्ध अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को उक्त अधिनियम के अधीन वादों के विचारण के लिए नामित करने की शक्ति भी प्रदान करते है ।

आज्ञा से,
बी0 लाल
सचिव ।

संख्या: 163-एक(1)(1)/न्याय विभाग/2003, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रूडकी, हरिद्वार को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रसारित असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित करने कष्ट करें और अधिसूचना की 50 मुद्रित प्रतियाँ इस अनुभाग को भी भेजने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,
Shyam
(यू0सी0 ध्यानी)
अपर सचिव ।

संख्या: 6-एक(1)(2)/न्याय विभाग/2003, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिबन्धक, उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
2- प्रमुख सचिव, गृह, उत्तरांचल शासन ।
3- पुलिस महानिदेशक, उत्तरांचल ।
4- समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरांचल ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
6- नियुक्ति अनुभाग/गार्ड फुक ।

आज्ञा से,
Shyam 18/7
(यू0सी0 ध्यानी)
अपर सचिव ।